SSC FOUNDATION

सम्यान 1.0 बैच

CONSTITUTION

FUNDAMENTAL DUTY

(मूल कर्तव्य)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE : 12 PM

BY-PAWAN SIR

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

Part IVA (Part 4 A) – Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य) → Art 51 'A'

प्रारंभिक संविधान में नहीं थे — 26 Jan 1950

जब Constitution of India लागू हुआ, तब उसमें केवल मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP) थे। नागरिकों के कर्तव्यों का अलग से उल्लेख नहीं किया गया था।

आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

1970 के दशक में यह महसूस किया गया कि नागरिक अपने अधिकारों पर तो जोर देते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं।

- ☐ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए।
- ☐ संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए।
- ☐ नागरिकों में अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए।

प्रेरणा का स्रोत

मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा Soviet Union (USSR) के संविधान से ली गई है।

सोवियत संघ   रूस

- **समिति:** स्वर्ण सिंह समिति (1976)
- **संविधान में जोड़ा गया:** 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- **भाग:** Part IVA
- **अनुच्छेद:** 51A
- **प्रेरणा:** USSR (सोवियत संघ)
- **प्रारंभिक संख्या:** 10
- **वर्तमान संख्या:** 11

कार्यपालिका
न्यायपालिका > पृथक्करण - 50

वन एवं वन्यजीव संरक्षण → 48A

ग्राम पंचायत - 40

UCC - 44

कल्याणकारी राज्य - 38

स्मारक संरक्षण - 49

प्रसूति सहायता - 42

स्वर्ण सिंह समिति (1976)

12 Members

8 बात

स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाए गए 8 कर्तव्य

1. संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना।
2. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना।
5. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
6. हिंसा का त्याग करना।
7. सभी नागरिकों में सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
8. राष्ट्र के विकास और प्रगति में योगदान देना।

26 Jan 1950 शिक्षा :- DPSP - Art 45

42वाँ संविधान संशोधन, 1976 → शिक्षा :→ समवर्ती सूचि में शामिल

समिति की सिफारिशों के आधार पर **Forty-second Amendment of the Constitution of India** द्वारा संविधान में **भाग IVA (Part IVA)** जोड़ा गया।
इसमें **अनुच्छेद 51A** के अंतर्गत प्रारंभ में **10 मौलिक कर्तव्य** शामिल किए गए।

86वाँ संविधान संशोधन, 2002

Eighty-sixth Amendment of the Constitution of India द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता-पिता/अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया।
इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों की संख्या **10 से बढ़कर 11** हो गई।

Art:- 21 'A' :- शिक्षा का मौलिक अधिकार

11 वां मूल कर्तव्य Art:- 51 'A' – K :- 6-14 yrs :- माता पिता व अभिभावक का कर्तव्य

भाग-4-क
Part-IV-A

11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)

1. ART:- 51 A (a) 51-क-(क)

To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.

संविधान, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। राष्ट्रगीत ×××

2. ART:- 51 A (b) 51-क-(ख)

To cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom.

स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना।

3. ART:- 51 A (c)

To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.

भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।

4. ART:- 51 A (d)

To defend the country and render national service when called upon to do so.

देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।

5. ART:- 51 A (e)

To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India and renounce practices derogatory to the dignity of women.

सभी भारतीयों में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।

6. ART:- 51 A (f)

To value and preserve the rich heritage of our composite culture.

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना।

7. ART:- 51 A (g)

To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures.

प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी एवं वन्य जीवों की रक्षा करना तथा सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना।

8. ART:- 51 A (h)

To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना।

9. ART:- 51 A (i)

To safeguard public property and to abjure violence.

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।

10. ART:- 51 A (j)

To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity.

व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना।

11. ART:- 51 A (k)

To provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years.

6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

1.प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसकी मूल भावना का सम्मान करे तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति आदर व्यक्त करे। यह कर्तव्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करता है।

2. नागरिकों को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए आदर्शों जैसे सत्य, अहिंसा, त्याग, समानता और राष्ट्रप्रेम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

3. प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की स्वतंत्रता, सीमाओं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का विरोध करे।

4. यदि देश को आवश्यकता हो तो नागरिकों को राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए आगे आना चाहिए। युद्ध, आपदा या राष्ट्रीय संकट के समय सहयोग देना इसका हिस्सा है।

6. धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना इस कर्तव्य का उद्देश्य है।

7. भारत की विविध संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, स्थापत्य और परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

8. तर्कसंगत सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव कल्याण तथा समाज सुधार की भावना विकसित करना इस कर्तव्य का उद्देश्य है।

9. सरकारी भवन, सड़कें, रेल, बसें तथा अन्य सार्वजनिक संपत्तियाँ राष्ट्र की संपत्ति हैं। इन्हें नुकसान पहुँचाना राष्ट्रहित के विरुद्ध है। साथ ही हिंसा का त्याग करना चाहिए।

10. प्रत्येक नागरिक को अपने कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर सके।

11. माता-पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**